संख्या- 175/2018/2143/71-1-2018-जी-133/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 18 जून, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में नशा मुक्ति उन्मूलन केन्द्र, आगरा के विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों के क्रय किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/135, दिनॉक 12-06-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में नशा मुक्ति उन्मूलन केन्द्र, आगरा के विभिन्न विभागों हेतु उपकरण क्रय किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में नशा मुक्ति उन्मूलन केन्द्र, आगरा हेतु "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,000/- (रू0 बीस लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 19,00,000.00 (रू0 उन्नीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।
(2) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टियॉ 03 साल तक वैद्य रहेगी। उक्त विशिष्टियों के आधार पर वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उपकरणों का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
(3) डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
(4) प्रश्नगत उपकरण का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0/संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित निदेशक की होगी।
(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
(6) राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान में उपकरणों के क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाय।
(7) उक्त उपकरणों का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण किये जाने के पश्चात उपकरण क्रय किये जाय।
(8) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
(9) राजकीय मेडिकल कालेजो एवं संस्थानों में उपकरणों का क्रय सर्वप्रथम जैम पोर्टल से किया जाए। जैम पोर्टल पर उपकरण उपलब्ध न होने पर ई-टेण्डर के माध्यम से तथा जहॉ एस0जी0पी0जी0आई0 /के0जी0एम0यू/राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के टेण्डर डाक्यूमेंट उपलब्ध है, उनका प्रयोग कर क्रय कर लिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाए। अवशेष उपकरण एस0जी0पी0जी0आई0/ के0जी0एम0यू/राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के प्रचलित रेट अनुबन्ध से क्रय कर लिया जाए।

(10) उपकरणों के क्रय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सुसंगत शासनादेश तथा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) इस सम्बन्ध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11.12.2017 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय -समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(15) डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-69-मेडिकल कालेज, आगरा में नशा विमुक्ति केन्द्र-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपकरणों की सूची।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 175/2018/2143(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in